राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 144वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 144वीं बैठक दिनांक 17/04/2023 को अपरान्ह 12:00 बजे श्री देवाशीष दास, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:–

1. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण,
2. श्री आर.पी. तिवारी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार चर्चाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–1 — **राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 143वीं बैठक दिनांक 20/03/2023 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 143वीं बैठक दिनांक 20/03/2023 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2 — **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 452वीं एवं 453वीं बैठक क्रमशः दिनांक 28/02/2023 एवं 01/03/2023 की अनुशंसा के आधार पर गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स झूलनबर आर्डिनरी स्टोन माईन (मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल (एल.एल.पी.)), ग्राम–झूलनबर, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2262)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/413699/2023, दिनांक 09/01/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–झूलनबर, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 1316/1/क/5 एवं 1316/1/क/7, कुल क्षेत्रफल–1.416 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,00,047.35 टन (38,479.75 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 452वीं बैठक दिनांक 28/02/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुरेश अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **नगर पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में नगर पंचायत धरमजयगढ़ का दिनांक 27/01/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1459/कोपा/2022 रायगढ़, दिनांक 18/08/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1510/ख.लि.–2/2022 रायगढ़, दिनांक 21/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2.023 हेक्टेयर हैं।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1511/ख.लि.–2/2022 रायगढ़, दिनांक 21/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल (एल. एल.पी.) के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1118/कोपा/2022 रायगढ़, दिनांक 09/05/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1316/1/क/5 श्रीमती यशोदा यादव एवं खसरा क्रमांक 1316/1/क/7 श्री मानसाय के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./3344 धरमजयगढ़, दिनांक 24/07/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 290 मीटर की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–झूलनबर 500 मीटर, स्कूल ग्राम–धरमजयगढ़ 3 कि.मी. एवं अस्पताल धरमजयगढ़ 3.5 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24.55 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.40 कि.मी. दूर है। तालाब 2.1 कि.मी., माण्ड नदी 1.55 कि.मी. एवं मौसमी नाला 280 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 6,53,484 टन, माईनेबल रिजर्व 2,59,447 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,46,475 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,410 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,437.5 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में क्रशर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	50,061
द्वितीय	1,00,047
तृतीय	50,018
चतुर्थ	34,997
पंचम	11,346

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 435 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 4,350 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 75,000 रूपये, खाद के लिए राशि 21,750 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,50,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,51,100 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 6,87,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh

				Rupees)
21.91	2%	0.4382	Following activities at Govt. Middle School Village- Bansjor	
			Installation of UV water filter and its AMC	0.28
			Running water arrangement in toilet	0.17
			Total	**0.45**

17. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्रधानपाठक (Head Master) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,437.5 घनमीटर है, जिसमें से 1,546 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। शेष 891.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भूमि (खसरा क्रमांक 1316/1/क/5, क्षेत्रफल 1.011 हेक्टेयर में से शेष 0.404 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। इस संबंध में समिति का मत है कि भूमि खसरा क्रमांक 1316/1/क/5, कुल भूमि 1.011 हेक्टेयर श्रीमती यशोदा यादव के नाम पर है। कुल भूमि 1.011 हेक्टेयर में से 0.607 हेक्टेयर (1.5 एकड़) क्षेत्र में पत्थर उत्खनन के लिए सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। शेष 891.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भूमि खसरा क्रमांक 1316/1/क/5 के शेष क्षेत्रफल 0.404 हेक्टेयर में रखे जाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में 80 नग वृक्ष स्थित है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र के भीतर अवस्थित वृक्षों की कटाई (यदि आवश्यक हुआ तो) सक्षम अधिकारी की अनुमति के उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

29. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

30. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1510/ख. लि.-2/2022 रायगढ़, दिनांक 21/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2.023 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (ग्राम-झूलनबर) का क्षेत्रफल 1.416 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-झूलनबर) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 3.439 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. 891.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भूमि खसरा क्रमांक 1316/1/क/5 के शेष क्षेत्रफल 0.404 हेक्टेयर में रखे जाने हेतु सहमति पत्र

प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स झूलनबर आर्डिनरी स्टोन माईन (मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल (एल.एल.पी.)) को ग्राम–झूलनबर, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ के खसरा क्रमांक 1316/1/क/5 एवं 1316/1/क/7 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.416 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–1,00,047.35 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/04/2023 को संपन्न 144वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स झूलनबर आर्डिनरी स्टोन माईन (मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल (एल.एल.पी.)) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. 891.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भूमि खसरा क्रमांक 1316/1/क/5 के शेष क्षेत्रफल 0.404 हेक्टेयर में रखे जाने हेतु सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स बालाजी एसोसिएट्स (प्रो.– श्री यज्ञदत्त शर्मा), ग्राम–कोदवा, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2264)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 413523/ 2023, दिनांक 10/01/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कोदवा, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा स्थित खसरा क्रमांक 342 (पार्ट), 345/1 एवं 345/2, कुल क्षेत्रफल–4.88 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–96,720 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 452वीं बैठक दिनांक 28/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री यज्ञदत्त शर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण** – इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत कोदवा का दिनांक 22/09/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक, खनिज प्रशासन, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1515/खनि. अनु.–01/2022 दुर्ग, दिनांक 03/01/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 817/खनि.लि./उ.प./डोलोमाईट/2023 बेमेतरा, दिनांक 05/01/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 16.455 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 818/खनि.लि./उ.प. /डोलोमाईट /2023 बेमेतरा, दिनांक 05/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, बांध, एनीकट, रेल लाईन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – भूमि एवं एल.ओ.आई. बालाजी एसोसिएट्स (प्रोपराईटर श्री यज्ञदत्त शर्मा) के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 478/खनि.लि./डोलो/2022 बेमेतरा, दिनांक 21/10/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी, बेमेतरा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 321, दिनांक 18/06/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कोदवा 800 मीटर, स्कूल ग्राम–कोदवा 800 मीटर एवं अस्पताल बेमेतरा 16 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 260 मीटर दूर है। शिवनाथ नदी 4.7 कि.मी. दूर है एवं नाला लीज क्षेत्र से लगी हुई है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 21,76,109 टन, माईनेबल रिजर्व 14,95,338 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 13,46,804 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,705 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में

ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 17,310 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 16 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	74,100
द्वितीय	78,000
तृतीय	85,020
चतुर्थ	93,600
पंचम	96,720

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 2,000 नग वृक्षारोपन किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 8,705 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग उत्खनित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. जारी होने से पूर्व से लीज क्षेत्र के कुछ भाग का केवल ऊपरी मिट्टी उत्खनित है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii (i) के अनुसार:–

    "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

    उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपन किया जाना आवश्यक है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र से नाला लगे होने के कारन 50 मीटर की लम्बाई तक कुल 3,625 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 817/खनि. लि./उ.प./डोलोमाईट/2023 बेमेतरा, दिनांक 06/01/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 16.455 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–कोदवा) का रकबा 4.88 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–कोदवा) को मिलाकर कुल रकबा 21.335 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit the certificate from DFO, forest department for distance between mine lease boundary to forest boundary.

v. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xiii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xiv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xv. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/04/2023 को संपन्न 144वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study Report (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

ii. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies.

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

3. मेसर्स लाईन स्टोन (फलेगी) क्वारी (प्रो.– श्री टेकराम साहू), ग्राम–निसदा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2286)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 414339/2023, दिनांक 12/01/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–निसदा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक–1344(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.052 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–11,000 टन (4,400 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 452वीं बैठक दिनांक 28/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अशोक कुमार यादव, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क/ख.लि./तीन–6/2021/1171 रायपुर, दिनांक 25/01/2021 द्वारा वर्ष 2008 से आज दिनांक तक कोई उत्पादन कार्य नहीं किया गया है।
3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** फर्शी पत्थर उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत निसदा का दिनांक 16/01/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. **उत्खनन योजना –** बवारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 4825/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.04/2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 08/09/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 383/ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 24/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 10.75 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क/ख.लि./तीन–6/2019/2014 रायपुर, दिनांक 23/09/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **भूमि एवं लीज का विवरण –** यह शासकीय भूमि है। लीज श्री टेकराम साहू के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/05/2008 से 30/04/2018 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/05/2018 से 30/04/2038 तक विस्तारित की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वन मण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./रा./2343 रायपुर, दिनांक 23/08/2006 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–निसदा 1.2 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–निसदा 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.3 कि.मी. है। महानदी 220 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,38,700 टन, माईनेबल रिजर्व 1,13,587 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 85,190 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,932 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 13 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 4 मीटर है तथा कुल मात्रा 5,920 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	11,000	षष्टम	11,000
द्वितीय	11,000	सप्तम	11,000
तृतीय	11,000	अष्टम	11,000
चतुर्थ	11,000	नवम	11,000
पंचम	11,000	दशम	11,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत निसदा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 733 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,932 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 1,049 वर्गमीटर क्षेत्र का ऊपरी मिट्टी उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है।

अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध जांच उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 15/10/2021 से दिनांक 14/01/2022 तक किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/10/2021 को सूचना दी गई थी।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 383/ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 24/07/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 10.75 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–निसदा) का रकबा 1.052 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–निसदा) को मिलाकर कुल रकबा 11.809 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

iv. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

v. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

vi. Project proponent shall submit a study report regarding the impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River. Project proponent will also submit an action plan for conservation/protection of water bodies.

vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xiii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/04/2023 को संपन्न 144वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study Report (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report."

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण

संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

4. मेसर्स श्री श्याम एथेनॉल एण्ड स्प्रीट्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–मुड़पार, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2267)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी2 /414364 /2023, दिनांक 13/01/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–मुड़पार, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 158/4, 159/1, 160, 164, 165, 168/4, 188/1, 168/ख, 199/2, 169/1, 169/2, 170, 171, 172, 173/1, 173/2, 174, 175, 199/3 एवं 168/1(पॉर्ट), कुल क्षेत्रफल – 11.10 हेक्टेयर (शासकीय भूमि 7.186 हेक्टेयर, निजी भूमि 3.914 हेक्टेयर) में एथेनॉल/इएनए क्षमता – 195 किलोलीटर प्रतिदिन एवं को–जनरेशन पॉवर प्लांट – 7 मेगावॉट के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना के विनियोग की कुल लागत 250 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 452वीं बैठक दिनांक 28/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रमेश सुल्तानिया, डायरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स एम्पल इन्वायरोन प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री विपिन कुमार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम आबादी ग्राम मुड़पार 800 मीटर तथा रेलवे स्टेशन कापन 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। बिलासा देवी विमानपत्तन, बिलासपुर 38 कि. मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 850 मीटर दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. **भूमि संबंधी जानकारी** – भूमि पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 168/1 शासकीय भूमि है। शेष खसरा क्रमांक 158/4, 159/1, 160, 164, 165, 168/4, 188/1, 168/ख, 199/2, 169/1, 169/2, 170, 171, 172, 173/1, 173/2, 174, 175, 199/3 श्री श्याम एथेनॉल एण्ड स्प्रीट्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है।

3. **लीज का विवरण** – लीज श्री श्याम एथेनॉल एण्ड स्प्रीट्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है। लीज डीड 99 वर्षों अर्थात् दिनांक 11/02/2022 से 10/02/2121 तक है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

Land Use	Area (in Sqm)	Area (%)
Built-up Area	20,709	18.7
Area under utility	6,448	5.8
Area under road	16,217	14.6
Green Belt Area	44,393	40.0
Parking Area	19,331	17.4
Open area	3,902	3.5
Total	**1,11,000**	**100**

5. **रॉ–मटेरियल** –

S. No.	Particular	Source	Quantity (TPD)	Method of Transport
1.	Grain (Unfit for Human consumption)	Surrounding area	445	By Road
2.	Biomass / coal	Open Market / E-auction	336	

6. **प्रस्तावित उत्पादन इकाईयों संबंधी जानकारी** –

S.No.	Name of Product	Production Capacity
1.	Distillery	195 KLD
2.	Co-gen power plant	7.0 MW
	By-Products	
1.	DDGS	101 TPD
2.	CO_2	91 TPD

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रदूषण नियंत्रण हेतु बॉयलर में ई.एस.पी. एवं 58 मीटर ऊंची चिमनी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाएगा। डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** –

Details of Hazardous Wastes			
S.No.	**Particulars**	**Quantity**	**Disposal/Management**
1.	Used / Spent OIL	0.4 KL/Annum	Disposal Through SPCB authorized Recyclers
Details of Non- Hazardous Wastes			
2.	Sludge from Waste water Treatment	0.08 TPD	Used as Manure
3.	Ash	67 TPD	Sold to authorized vendors

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 4,174 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 4,162 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 12 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। रि–साईकल्ड जल की मात्रा 3,126 घनमीटर प्रतिदिन होगी। कुल फ्रेश वॉटर रिक्वायरमेंट 1,048

घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसकी आपूर्ति भू–जल एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से एकत्रित कर उपचारित जल से की जाएगी। इस बाबत् जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से 950 घनमीटर प्रतिदिन दूषित जल उत्पन्न होगा। प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न अपशिष्ट जल को ई.टी.पी. द्वारा उपचारित कर प्रक्रिया में पुनः उपयोग किया जाएगा। घरेलू दूषित जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 12 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 56,405 घनमीटर है, जिसमें से कुल रनऑफ के 20,874.6 घनमीटर को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 15 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है एवं कुल रनऑफ के शेष 35,530.4 घनमीटर को वाटर स्टोरेज टैंक में स्टोर एवं उपचारित कर प्रक्रिया में पुनः उपयोग किया जाएगा। समिति का मत है कि कुल रनऑफ के शेष 35,530.4 घनमीटर को वाटर स्टोर किये जाने वाले स्थान को ले–आउट प्लान में दर्शाते हुये उसकी क्षमता सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 7 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति कैप्टिव को–जनरेशन पॉवर प्लांट से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1,000 के.वी.ए. का डी.जी. सेट (30 मीटर ऊंचाई) स्थापित किया जाना बताया गया है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – प्रस्तावित परियोजना हेतु 4.44 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 11,100 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उद्योग परिसर के चारों ओर पांच पंक्तियों में वृक्षारोपण किया जाएगा। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तावित उद्योग परिसर के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव ले–आउट प्लान में दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 15/10/2022 से दिनांक 15/01/2023 के मध्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 5(जी) डिस्टिलरी (Distillery) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit that damaged food grains like broken rice, food grains unfit for human consumption, food grains during surplus phase as declared by National Biofuel Coordination Committee (NBCC) shall only be used as a raw material.

ii. Project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit that necessary permission from CREDA will be obtained for rice husk used as a fuel in boiler.

iii. Project proponent shall submit technical details of proposed plant with process flowchart.

iv. Project proponent shall submit the details of site selection criteria.

v. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water and also submit the detail proposal of water storage tank for rest of the rain water harvested.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

viii. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

ix. Project proponent shall submit details of pollution control arrangement of loading, unloading, material transfer points, conveyor belts etc.

x. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation and incorporate in the EIA report.

xi. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).

xii. Project proponent shall submit details of water balance chart.

xiii. Project proponent shall submit details of ETP & STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.

xiv. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments alongwith stack height and pollution load calculation.

xv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xvi. Project proponent shall carryout Social Impact Assessement & Socio Economic Survey in the project influenced area i.e. 10 km radius from the project site and included as part of EIA report.

xvii. Project proponent shall carry out Impact Assessement Study on flora, fauna & possible loss in biodiversity in the project influenced area and incorporate in the EIA report.

xviii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xix. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xx. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xxi. Project proponent shall submit the layout of plant incorporating rain water harvesting works and proposed plantation work, earmarking at-least 20 meter width (5 tiers) of land for plantation all along the boundary and dense plantation around effluent treatment plant and sewage treatment facilities.

xxii. Project proponent shall submit the energy saving techniques proposed in the project.

xxiii. Project proponent shall submit CER proposals of plantation (for creation of Eco Park) with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/04/2023 को संपन्न 144वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"Project proponent shall submitted details of mode of transportation of fly ash through covered trucks."

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

5. मेसर्स लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मनदीप सिंह), ग्राम–अकोलडीह खपरी, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2234)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 411239/ 2022, दिनांक 19/12/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 27/12/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना

प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 16/01/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अकोलडीह खपरी, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक–539, कुल क्षेत्रफल–2.79 एकड़ (1.129 हेक्टेयर) में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–11,025 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 452वीं बैठक दिनांक 28/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनदीप सिंह, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धनसुली का दिनांक 28/12/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्र. 5395/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र. 04/2019(1) नवा रायपुर, दिनांक 13/10/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 88/ख.लि./2023 रायपुर, दिनांक 13/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदानें, क्षेत्रफल 182.49 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 88/ख.लि./2023 रायपुर, दिनांक 13/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।
6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि एवं एल.ओ.आई. श्री मनदीप सिंह के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 540/ख.लि./तीन–6/उ.प./2022 रायपुर, दिनांक 26/05/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अकोलडीह खपरी 600 मीटर, स्कूल ग्राम–अकोलडीह खपरी 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 6,77,400 टन, माईनेबल रिजर्व 2,80,502 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,72,087 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,040 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,430 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 25 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	11,025
द्वितीय	11,025
तृतीय	11,025
चतुर्थ	11,025
पंचम	11,025

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 760 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 15 / 10 / 2022 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 16 / 12 / 2022 को सूचना दी गई थी।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13 / 09 / 2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 88/ख.नि./2023 रायपुर, दिनांक 13/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदानें, क्षेत्रफल 182.49 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–अकोलडीह खपरी) का रकबा 1.129 हेक्टेयर (2.79 एकड़) है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–अकोलडीह खपरी) को मिलाकर कुल रकबा 183.619 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

vii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

ix. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

x. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/04/2023 को संपन्न 144वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

6. मेसर्स भोंदना लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अभिषेक प्रताप सिंहदेव), ग्राम–भोंदना, तहसील–शंकरगढ़, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2288)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 415516/2021, दिनांक 23/01/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–भोंदना, तहसील–शंकरगढ़, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 460, कुल क्षेत्रफल–1.056 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–11,130 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 08/02/2023 द्वारा आवेदन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 452वीं बैठक दिनांक 28/02/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 08/02/2023 द्वारा आवेदन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/04/2023 को संपन्न 144वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारुप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. **मेसर्स भिरौद सेण्ड क्वारी (प्रो.– सुश्री सुमन बंजारे), ग्राम–भिरौद, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1761)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 66541/2021, दिनांक 11/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/66541/2021, दिनांक 28/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–भिरौद, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 111, कुल क्षेत्रफल – 9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 434वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष शुक्ला, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स अमलतास इन्फ्रायरो इण्डस्ट्रियल कन्सलटेन्ट एल.एल.पी. की ओर से श्री वरूण भारद्वाज उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भिर्री का दिनांक 28/09/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि ग्राम पंचायत भिरौद का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ इन्वारोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 59/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2021–22 कांकेर, दिनांक 13/05/2021 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 60(इ)/ खनिज/रेत(मूल) /2021–22 कांकेर, दिनांक 13/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 60(बी)/खनिज/रेत(मूल)/2021–22 कांकेर, दिनांक 13/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, अस्पताल, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. सुश्री सुमन बंजारे के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1237 खनिज/रेत (रिवर्स ऑक्शन)/2020–21 कांकेर, दिनांक 02/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 112/खनिज/2022–23 कांकेर, दिनांक 09/05/2022 द्वारा जारी की गई, जिसके अनुसार "पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 23/2022 में पुनरीक्षणकर्ता को पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने तथा अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।"

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वनमंडल, जिला–कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.धि./2022/7706 कांकेर, दिनांक 12/07/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–भिरौद 2 कि.मी., स्कूल ग्राम–धारामा 1.31 कि.मी. एवं अस्पताल 210 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.26 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 0.6 कि.मी. की दूरी पर डाउनस्ट्रीम में स्थित है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट स्थित नहीं है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है। खिखली संरक्षित वन 5 कि.मी., माटेगहन संरक्षित वन 4 कि.मी., मुजुलगोंड़ी संरक्षित वन 7 कि.मी. एवं डोकला संरक्षित वन 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 390 मीटर, न्यूनतम 252 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 892 मीटर, न्यूनतम 806 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 150 मीटर, न्यूनतम 89 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के दायें किनारे से दूरी अधिकतम 48 मीटर, न्यूनतम 40 मीटर एवं बायें किनारे से दूरी अधिकतम 200 मीटर, न्यूनतम 120 मीटर है।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,80,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 9 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 4.17 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर प्री–मानसून डाटा दिनांक 04/06/2021 एवं पोस्ट–मानसून डाटा दिनांक 04/11/2022 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। समिति का मत है कि रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर वर्ष, 2021 का पोस्ट–मानसून डाटा एवं वर्ष, 2022 का प्री–मानसून डाटा को खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.65 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत निरौद का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

16. **वृक्षारोपण कार्य** – वृक्षारोपण (नदी तट एवं पहुंच मार्ग पर कुल 4,500 नग पौधे) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 2,25,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 4,81,500 रूपये, खाद के लिए राशि 45,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,80,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 9,31,500 रूपये आगामी 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

17. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** :–

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 01 अक्टूबर 2021 से 31 दिसम्बर 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 08 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 04 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 08 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 03 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 05 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m^3)
$PM_{2.5}$	35.61	56.48	60
PM_{10}	63.45	86.22	100
SO_2	8.45	16.18	80
NO_2	20.12	30.64	80

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, फ्लोराइ, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तरः–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	52.4	59.7	75
Night L_{eq}	40.1	52.6	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणनाः– भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार प्रस्तावित परियोजना से 600 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent) के भीतर है। जो अतिउत्तम की श्रेणी में आता है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 05/05/2022 प्रातः 10:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत कार्यालय के पास स्थित खेल मैदान, ग्राम–भिरौद, तहसील–धारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 07/06/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैः–

i. रेत परिवहन से ग्राम की सड़के खराब हो सकती है, इसका ध्यान रखा जायें।

ii. ग्राम के आस–पास पानी की समस्या है। इसका निराकरण करें।

iii. नदी में रेत की मात्रा कम है। नदी किनारे लगाए गए पौधे मर चुके है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होगा।

iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार हैः–

i. रेत परिवहन हेतु ग्रामीण सड़क का यथासंभव कम उपयोग किया जायेगा।

ii. टैंकर के माध्यम से पानी उपलब्ध कराकर पानी की समस्या का समाधान करने का संभव प्रयास किया जाएगा।

iii. इस खदान पर कार्य शासन–प्रशासन के आदेश के अनुसार किया जाएगा।

iv. ग्राम के आस–पास के स्थानीय निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी।

20. **इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान का उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

21. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
116	2%	2.32	Following activities at, Govt. H.S. School, Village- Bhirod	
			Potable Drinking water in school with Five year mantenance.	0.40
			Running water in toilet and kitchen	0.50
			Cupboard (Almirah)	0.20
			Environment Related Books for students	0.12
			Plantation in school (60 plants) (with fencing and maintenance)	1.10
			Total	2.32

22. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में (जामुन, नीम, आम) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 60 नग पौधों के लिए राशि 6,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 15,000 रूपये, खाद के लिए राशि 600 रूपये एवं सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 90,000 रूपये, आगामी 5 वर्ष में कुल राशि 1,11,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भिरौद का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर वर्ष, 2021 का पोस्ट–मानसून डाटा एवं वर्ष, 2022 का प्री–मानसून डाटा को खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
4. फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की पुनः स्टडी कराकर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं उक्त पौधों का 90 प्रतिशत जीवन दर सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/01/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 20/02/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 452वीं बैठक दिनांक 28/02/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भिरौद का दिनांक 28/09/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
नदी तट एवं पहुंच मार्ग पर (4,500 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	2,70,000	27,000	27,000	27,000	27,000
	फेंसिंग हेतु राशि	7,00,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	45,000	4,500	4,500	4,500	4,500
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
कुल राशि = 13,81,000		10,63,000	79,500	79,500	79,500	79,500

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर वर्ष, 2021 का प्री–मानसून डाटा दिनांक 04/06/2021 एवं वर्ष, 2022 का पोस्ट–मानसून डाटा दिनांक 04/11/2022 को खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया किया गया है।
4. फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की पुनः स्टडी कराकर जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
5. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं उक्त पौधों का 90 प्रतिशत जीवन दर सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
10. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से कराई जावें।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–मिरौद) का रकबा 9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. **ई.एम.पी. वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर वृक्षारोपण (नदी तट एवं पहुंच मार्ग पर कुल 4,500 नग पौधे) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 2,70,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 7,00,000 रूपये, खाद के लिए राशि 45,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 48,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष हेतु कुल राशि 10,63,000 रूपये एवं आगामी 4 वर्ष हेतु कुल राशि 3,18,000 रूपये घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2023, 2024, 2025 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. परियोजना प्रस्तावक का लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह बी–1 केटेगरी का है। अतः लीज क्षेत्र के प्रतिबंधित क्षेत्र में वृक्षारोपण के स्थान पर अतिरिक्त 2,700 नग पौधों का वृक्षारोपण नदी तट अथवा ग्राम पंचायत से प्राप्त शासकीय भूमि में किया जाना आवश्यक है। उक्त कार्य हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार (डी.पी.आर.) व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

6. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स मिरौद सेण्ड क्वारी (प्रो.– सुश्री सुमन बंजारे), खसरा क्रमांक 111, ग्राम–मिरौद, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर, कुल लीज क्षेत्रफल 9 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 1,35,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की

अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

7. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

8. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/04/2023 को संपन्न 144वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स मिरौद सेण्ड क्वारी (प्रो.– सुश्री सुमन बंजारे) को पर्यावरणीय स्वीकृति, **खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु** निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन दिये जाने का निर्णय लिया गया।

"नदी तट पर किये जाने वाले वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।"

समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

8. मेसर्स वी.एम. टेक्नोस्टॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड (कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी), ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1313)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 53362/2020, दिनांक 26/05/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 53362/2020, दिनांक 26/11/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह नवीन कॉमन बॉयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना है। यह परियोजना ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 116/1, कुल एरिया– 0.4062 हेक्टेयर (1 एकड़) में प्रस्तावित है। नवीन कॉमन बॉयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना इंडक्शन प्लास्मा पायरोलाईसिस – 100 किलोग्राम प्रतिघण्टा, ऑटोक्लेव क्षमता – 100 लीटर प्रतिबैच एवं शेडर क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिघण्टा के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना का विनियोग रुपए 2.75 करोड़ होगा।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/09/2020 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा

अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में कॉमन हजॉर्डस वेस्ट ट्रीटमेंट, स्टोरेज एण्ड डिस्पोजल फेसीलिटी (टीएसडीएफएस) (Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)) हेतु वर्णित श्रेणी 7(डी) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) New Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत इंडक्शन प्लास्मा पायरोलाईसिस – 100 किलोग्राम प्रतिघण्टा, ऑटोक्लेव क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिबैच एवं श्रेडर क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिघण्टा हेतु टीओआर जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 400वीं बैठक दिनांक 03/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रवेश मलिक, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स एनप्रो इन्वायरो टेक एण्ड इन्जीनियरस प्राईवेट लिमिटेड की ओर से डॉ. धवल नायक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**
   - समीपस्थ आबादी ग्राम–पूंजीपथरा 1.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन भूपदेवपुर 14.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 350 मीटर दूर है। कुरकेट नदी 7.9 कि.मी. दूर है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
   - कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/एनएचएम/बीएमडब्ल्यु/2020/3177 रायगढ़, दिनांक 20/02/2020 द्वारा बॉयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना के संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गई है।
2. **भूमि उपयोगिता संबंधी विवरण** – आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2984/सामान्य/2019, दिनांक 25/11/2019 को एल.ओ. आई. मेसर्स डी.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को जारी की गई है। साथ ही किये गये एम.ओ.यु.(अनुबंध) मास्टर सर्विस एग्रीमेंट के सरल क्रमांक 6 के अनुसार "Project Activities and Timeline: The contract signed with DMC shall be valid for a period of 6 months installation from land allotment and environmental clearance by DMC and 36 months of exection post commissioning of the CBWTF. The contract may be extended for another 24 months and there after further extension is dependent upon mutual agreement between DMC and the qualified bidder, based on satisfactory performance" का उल्लेख है। उक्त के संदर्भ में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/एन.एच.एम./बीएमडब्ल्यु/2020/3177 रायगढ़, दिनांक 20/02/2020 द्वारा रायगढ़ जिले में संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा हेतु अनुमति प्रदाय की गई है।

3. लैण्ड एरिया स्टेटमैंट –

S.No.	Description	Area(in SQM)	Area (%)
1.	Incinerator plant	208	5.1
2.	Shredder area	54	1.3
3.	Sterilization room	54	1.3
4.	Control room	36	0.9
5.	Treated waste storage room	80	2.0
6.	Hazardous waste storage room	54	1.3
7.	Red waste storage room	28	0.7
8.	Yellow waste storage room	28	0.7
9.	Other waste storage room	28	0.7
10.	E.T.P. Area	56	1.4
11.	Utility Area	70	1.7
12.	Vehicle wash Area	64	1.6
13.	Vehicle Parking Area	165	4.1
14.	Office	65	1.6
15.	Security Cabin	18	0.4
16.	Green Belt	1,340	33.0
17.	Collection and Segregation Area	120	3.0
18.	Roads Area and Open Space Area	1,594	39.2
Total Site Area		**4,062**	**100**

4. ट्रीटमैंट फेसीलिटी –

- **BRIEF SPECIFICATIONS OF INDUCTION PLASMA PYROLYSIS INCINERATOR**

Specifications Of Induction Plasma Pyrolysis	
Capacity	100 KG Per Hour
Type	Cylindrical Vertical (solid waste feeding)
Volume	3 m^3
Moc (Shell)	SS310- 10mm Thick
Chamber Pressure	10-20 mm WC
Travel Speed	6.02 mtr/ Hr
Refractory Thick	100 mm
Flue Gas Velocity	1.3 mtr / Sec
Ash And Residue Separation	Ash Separator With Hot Ash Removal Screw Conveyor
Gas Leakage Prevention	Unit High Pressure air sealing for Prevent Flue Gas Leakage
Back Pressure Prevention	From Charging Door Compressed Door Mechanism
Explosion Safety Explosion	Davit Arrangement (Internal)
Waster Loading Mechanism	Hoper unit With Safety Door
Waste Feeding Mechanism	Hydraulic Ram
Feeding unit	5HP
Nature / Category of waste	Incinerable bio-medical waste with

	Maximum 85% moisture Content
Heat Loss Fraction	0.05
Design Temperature	1400 °C
Source Of Energy	Electric
Combustion Efficiency	At Least 99 %
Temperature Resistance (Primary Chamber)	1400°C
Temperature Resistance (Secondary chamber)	1200°C
Preheating Time	Maximum One Hour
Temperature In Primary Chamber	Relevant Temperature
Temperature In Secondary Chamber	1050 + 50 °C and 1050 – 50 °C
O_2 content in Primary Chamber	6%
Residence time for flue gas in Secondary Chamber	2 sec

- **BRIEF SPECIFICATIONS OF SECONDARY CHAMBER**

Description	Specification
Type	Cylindrical Statical
Inclination	Vertical 90 or horizontal
Volume	3 m^3
MOC(Shell)	SS304 or MS 2062 refractory lined
Chamber pressure	10-20 mm WC
Refractory Thick	100 mm
Flue gas velocity	1.9 mtr/sec
Ash and Residues Separation	Ash Separator with Hot Ash Removal Screw Conveyor
Gas Leakage Prevention Unit	High Pressure Air sealing for Prevent Flue Gas Leakage
Explosion Safety	Explosion Davit Arrangement (Internal) Top With Counter Weight Linked With PLC Control
Retention time of flue gases in Chamber	2 - 2.2 Second.

- **Autoclave**

Technical Specifications	
Capacity	100 Litre/hr
MOC	SS - 304
Model No.	NEET AC100
Insulation	Ceramic wool on outer side
Pressure	2.1 kg/cm^2
Air Emission	Highly Odorous but Non Toxic
Heating Media	By steam generated from Electric heater arrangement.
Feeding	Hydraulic System
Safety Instrument	Pressure Gauge and Safety Valve

Temperature	121 to 134°C
Design Temperature:	150°C
Water Emission	Odorous May Contain Live Micro Organisms at Base
Treatment Effluent	Low Wet Waste 10 % Heavier all Material Acceptance Recognizable

- **Shredder**

Technical Specifications	
Capacity	100 Kg/Hr x 1 No
MODEL No	NEET AC100
Waste Materials	Biomedical waste
Power	5 HP
Motor	3 Phase 50 Hz 415 VAC
Hopper Size	300 X 400 mm Height.
Drive	V belt Pulley drive
Required Space	$2m^2$.(only machine)
MOC	MS Fabricated
MOC of Blade	W.P.S. Hardened changeable Blade
Control Panel	Dual starter ON/OFF switch
Shredding Size	25 X50 mm Waste Cutting
Bearing	SKF/ZKL Ball Bearing.
Cutting Blade	5 Nos.(3 movables & 2 fix blade)

5. **प्रोजेक्ट हेतु आवश्यक तथ्य** – प्रस्तावित परियोजना में शासकीय अस्पताल, प्राईवेट अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, ब्लड बैंक एवं शासकीय उप–स्वास्थ केन्द्र आदि में बेडो की संख्या एवं बॉयो मेडिकल वेस्ट संग्रह किये जाने संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **हजार्ड्स एवं ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** –

Hazardous & Solid Waste Management				
CAT. NO.	TYPE OF HAZARDOUS AND OTHER WASTE	SOURCE	QUANTITY GENERATED (Kg/Day)	METHOD OF DISPOSAL
36.2	Ash	Incinerator	500	Sent to TSDF
34.3	ETP Sludge	ETP area	75	Sent to TSDF site for landfilling or cement co-processing
-	Plastic Waste after Autoclave and shredding	Shredder	500	Sent to Authorized Recyclers
-	Glass and metallic body implants After Autoclave	Autoclave	300	Sent to Authorized Recyclers
-	Metal Sharps after Autoclave and Shredding	Shredding	As generated	Sent to foundry for metal recovery / TSDF

5.1	Waste oil	From Plant & Machineries	10	Sent to Authorized Recyclers
-	Used batteries		As generated	Sent to Authorized Recyclers

7. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 10 किलोलीटर प्रतिदिन जिसमें से फ्रेश वॉटर 5.5 किलोलीटर प्रतिदिन एवं रिसाईकल वॉटर 4.5 किलोलीटर प्रतिदिन (इनसिनरेटर/स्क्रबर में 4.7 किलोलीटर प्रतिदिन, फ्लोर वॉशिंग में 0.8 किलोलीटर प्रतिदिन, व्हीकल वॉशिंग में 1 किलोलीटर प्रतिदिन, सॉल्यूशन बनाने में 0.1 किलोलीटर प्रतिदिन, स्टीम जनरेशन में 0.1 किलोलीटर प्रतिदिन, गार्डनिंग में 2.5 किलोलीटर प्रतिदिन एवं घरेलु 0.8 किलोलीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाएगा। आवश्यक जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। इस हेतु केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण (CGWA) से अनुमति लिया जाएगा।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – घरेलू दूषित जल की मात्रा 0.6 किलोलीटर प्रतिदिन एव औद्योगिक दूषित जल की मात्रा 4.6 किलोलीटर प्रतिदिन होगी। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक/सोक पिट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ईफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता–10 किलोलीटर प्रतिदिन की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ईफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लांट के अंतर्गत कलेक्शन कम एक्वालाइजेशन टैंक, फ्लैश मिक्सर एवं फ्लोकुलेटर, प्राईमरी सेटलिंग टैंक, एरिएशन टैंक, सेकण्डरी सेटलिंग टैंक, इंटरमिटेंट स्टोरेज टैंक, पंप, स्लज ड्राईंग बेड, पी.एस.एफ. एवं ए.सी.एफ., कैमिकल डिसइन्फेक्शन फेसिलिटी (सोडियम हाइपोक्लोराइड/क्लोरिन/पोटेशियमपर मैंगनेट का उपयोग डिसइन्फेक्टेंट मीडिया की तरह किया जाएगा), ट्रीटेड वेस्ट वॉटर टैंक आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल को विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 1,345 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 1 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 3.6 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर एवं गहराई 0.2 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – Induction Plasma Pyrolsis में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु सिंचर के साथ पैक्ड बैड स्क्रबर एवं वेंचुरी स्क्रबर तथा चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। डी.जी. सेट में चिमनी की

ऊंचाई 12 मीटर होगी। उक्त चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाना प्रस्तावित है।

9. **परिवहन व्यवस्था** – जैव–चिकित्सा अपशिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन जैव–चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 150 के.वी.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 150 के.वी.ए. का एक डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित है।

11. **वृक्षारोपण की स्थिति** – कुल क्षेत्रफल में से लगभग 1,340 वर्गमीटर (लगभग 33 प्रतिशत) में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

12. प्रस्तावित क्षमता विस्तार कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 2.75 करोड़ होना बताया गया है, जिसका ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. पूर्व में टी.ओ.आर. हेतु प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में एवं जारी टी.ओ.आर. में ऑटोक्लेव क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिबैच का उल्लेख है। जबकि फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट में ऑटोक्लेव क्षमता – 100 लीटर प्रतिबैच का उल्लेख किया गया है। अतः इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 16 अक्टूम्बर, 2020 से 15 जनवरी, 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 9 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 14.9 से 51 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 56.4 से 94 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 3.6 से 25.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 7.8 से 32 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेशीय वायु में जी.एल.सी. (GLC) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार परियोजना के प्रारंभ होने के उपरांत पी.एम. की मात्रा 0.16 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि, हाईड्रोक्लोरिक एसीड की मात्रा 0.16 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि एवं एन.ओ.$_{एक्स}$ की मात्रा 1.25 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि होगी।

   iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 49.5 डीबीए से 54.2 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 38.6 डीबीए से 43.7 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

16. लोक सुनवाई दिनांक 11/08/2021 प्रातः 11:00 बजे स्थान बंजारी मंदिर परिसर के समीप ग्राम–तराईमल, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 23/10/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

17. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. इस क्षेत्र में हाथीयों के आवागमन के लिये धरमजयगढ़ से बंगुरसिया तक ऐलिफेंट कॉरिडोर बनाया गया है, जिसके कारण इस क्षेत्र में ऐलिफेंट वॉच टॉवर भी बनाया गया है।

ii. प्रस्तावित क्षेत्र के समीप केलो नदी एवं कुरकेट नदी 7 कि.मी. है। परियोजना से दूषित जल नदियों में प्रवाहित किया जाएगा।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक का कथन एवं प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:–

i. प्रस्तावित कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट क्षेत्र ऐलिफेंट कॉरिडोर के बाहर है।

ii. जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ईटीपी लगाया जाएगा साथ ही किसी प्रकार का दूषित जल परियोजना क्षेत्र के बाहर नहीं निस्तारित किया जाएगा।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
275	2%	5.50	Following activities at Government Primary School, Village- Punjipathara	
			Rain Water Harvesting System	0.36

			Roof top Solar Panal System	3.12
			Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC	0.78
			Digitization of School Projectors, Computers, Tables	1.24
			Total	5.50

उक्त प्रस्ताव को समिति द्वारा अमान्य किया गया है। समिति का मत है कि "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, साल, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में टी.ओ.आर. हेतु प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में एवं जारी टी.ओ.आर. में ऑटोक्लेव क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिबैच का उल्लेख है। जबकि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट में ऑटोक्लेव क्षमता – 100 लीटर प्रतिबैच का उल्लेख किया गया है। अतः इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित परियोजना में शासकीय अस्पताल, प्राईवेट अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, ब्लड बैंक एवं शासकीय उप–स्वास्थ्य केन्द्र आदि में बेड की संख्या, बॉयो मेडिकल वेस्ट की मात्रा एवं संग्रहण किये जाने के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उक्त संस्थाओं से जनित बॉयो मेडिकल वेस्ट की मात्रा अनुसार बॉयो मेडिकल वेस्ट फेसिलिटी किया जा रहा है अथवा नहीं? के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाए।
4. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. भूमि संबंधी दस्तावेज खसरा नक्शा (बी–1, पी–2) प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना के स्थापना हेतु संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. उद्योग एवं उद्योग परिसर के चारों ओर एम.पी.एन. (Most Probable Number) स्टडी प्रतिवर्ष किए जाने हेतु शपथ पत्र (Under Taking) प्रस्तुत किया जाए।
8. प्रत्येक 6 माह में उद्योग एवं परियोजना के आस–पास निवासरत लोगों का एलर्जी एवं पैथोजनिक प्रभाव की स्टडी कराने हेतु शपथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. प्रस्तावित परियोजना में कितने व्यक्ति कार्यबल के रूप में कार्य करेंगें एवं उनके सुरक्षा हेतु क्या व्यवस्था की जाएगी? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

10. प्रस्तावित परियोजना एवं आस–पास के क्षेत्र का ऐरो–बॉयोलॉजिकल स्टडी (Aero-Biological study) कराने हेतु शपथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न परिसंकटमय अपशिष्ट एवं ठोस अपशिष्ट के निपटान हेतु टी.एस.डी.एफ., सीमेंट इकाईयों में को–प्रोसेसिंग के लिए एवं अधिकृत रिसाईक्लर से अनुबंध के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

12. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 01/04/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 27/04/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि:–

1. जल के घनत्व को 1 घनमीटर माना गया है। जिससे ऑटोक्लेव की क्षमता की ईकाई किलोग्राम प्रतिबैच एवं लीटर प्रतिबैच का उपयोग किया गया है, जो कि समान है। आटोक्लेव मशीन में स्टीम (steam) का उपयोग उच्च दाब में प्रेशर वेसल के अंतर्गत हानिकारक बैक्टेरिया, वायरस, फंगस एवं बीजाणु को मारने के लिए किया जाता है। ऑटोक्लेव की क्षमता कक्ष के आयतन के बराबर होती है। ऑटोक्लेव की प्रतिबैच को प्रतिघंटा माना गया है।

2. प्रस्तावित परियोजना द्वारा बताया गया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार 1 बॉयो–मेडिकल वेस्ट फेसिलिटी में 75 कि.मी. का क्षेत्र एवं 10,000 बेडों की संख्या लिये जाने का उल्लेख है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा रायगढ़ जिले के कुल 184 हेल्थ केयर फैसिलिटी (HCFs) में बेडो की संख्या 1,722 लिया गया है, जिससे जनित बॉयो मेडिकल वेस्ट की मात्रा 516.6 कि.ग्रा. प्रतिदिन (गाईडलाईन अनुसार 300 ग्राम प्रतिबेड प्रतिदिन) को संग्रहण किया जाएगा।

3. विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया गया है परन्तु भूमि के मूल्य को शामिल नहीं किया गया है। भूमि के मूल्य को शामिल करते हुए विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया नहीं किया गया है।

5. भूमि खसरा क्रमांक 116/7 (खसरा क्रमांक 116/1 का भाग) शासकीय भूमि है जो संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा (CBWTF) इकाई की स्थापना हेतु आरक्षित है।

6. परियोजना के स्थापना हेतु ग्राम पंचायत समारूमा का दिनांक 21/12/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. उद्योग एवं उद्योग परिसर के चारों ओर एम.पी.एन. (Most Probable Number) स्टडी प्रतिवर्ष किए जाने हेतु वचन पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. प्रत्येक 6 माह में उद्योग एवं परियोजना के आस-पास निवासरत लोगों का एलर्जी एवं पैथोजनिक प्रभाव की स्टडी कराने हेतु वचन पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. प्रस्तावित परियोजना में कुशल श्रमिक 5, अर्धकुशल श्रमिक 8 एवं अकुशल श्रमिक 12 व्यक्ति कार्यबल के रूप में कार्य करेंगें एवं उनके सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक उपाय अपनाया जाएगा साथ ही प्रत्येक 6 माह में श्रमिकों का पैथोजैनिक टेस्ट करवाया जाएगा।

10. प्रस्तावित परियोजना एवं आस-पास के क्षेत्र का ऐरो-बॉयोलॉजिकल स्टडी (Aero-Biological study) कराने हेतु वचन पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. ई.टी.पी. स्लज, इन्सीनेरेशन ऐश एवं मेटल शार्प को मेसर्स रामकी इन्फ्रायरो इंजीनियर्स, जिला-बलौदाबाजार को उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में मेसर्स रामकी इन्फ्रायरो इंजीनियर्स जिला-बलौदाबाजार का संचालन नहीं है। संचालन प्रारंभ होने तक उत्पन्न अपशिष्ट को मेसर्स रामकी इन्फ्रायरो इंजीनियर्स पिथमपुरा, म.प्र. को उपलब्ध कराया जाएगा। मेसर्स रामकी इन्फ्रायरो इंजीनियर्स, जिला-बलौदाबाजार से अनुबंध पर्यावरण स्वीकृति एवं पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति उपरांत अन्य आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद की जाएगी (प्रदूषण बोर्ड द्वारा दी गई सत्यापन के अधीन)। रिसायकेबल प्लास्टिक एवं ग्लास वेस्ट को समीपस्थ अधिकृत रिसाईकलर को उपलब्ध कराया जाएगा (प्रदूषण बोर्ड द्वारा दी गई सत्यापन के अधीन)। यूज्ड बैटरीज को स्टार ई-प्रोसेसर ग्राम-बकतरा, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर को उपलब्ध कराया जाएगा (प्रदूषण बोर्ड द्वारा दी गई सत्यापन के अधीन)।

12. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
275	2%	5.50	Following activities at,	
			Pavitra van nirman	5.50
			Total	5.50

13. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 400 नग पौधों के लिए राशि 40,000 रूपये, सिंचाई तथा फेंसिंग (Protection) के लिए राशि 38,000 रूपये, पीट मेकिंग तथा खाद के लिए राशि 38,000 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 52,600 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,68,600 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,81,400 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र निर्माण वन हेतु ग्राम पंचायत समारूमा को यथायोग्य स्थान प्राप्त करने के लिए पत्राचार किया गया है जिसकी प्रति प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि ग्राम पंचायत से यथायोग्य स्थान (खसरा नंबर एवं रकबा सहित) प्राप्त कर ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. भूमि के मूल्य को शामिल करते हुए विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कुल विनियोग में वृद्धि होने पर तदानुसार सी.ई.आर. के अतिरिक्त कार्य हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) से प्रमाणित कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के हेतु ग्राम पंचायत से यथायोग्य स्थान (खसरा नंबर एवं रकबा सहित) विवरण प्राप्त कर ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया किया जाए।
4. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये जवाब (उपरोक्तानुसार बिन्दु क्रमांक ii एवं iii) का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. श्रमिकों के सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने एवं प्रत्येक 6 माह में श्रमिकों का पैथोजैनिक टेस्ट करवाये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. प्रस्तावित परियोजना एवं आस–पास के क्षेत्र का ऐरो–बॉयोलॉजिकल स्टडी (Aero-Biological study) कराने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
7. रिसायकेबल प्लास्टिक एवं ग्लास वेस्ट को समीपस्थ अधिकृत रिसाईक्लर को उपलब्ध कराये जाने तथा यूज्ड बैटरीज को स्टार ई–प्रोसेसर ग्राम–बकतरा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर को उपलब्ध कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/07/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/08/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि:–

1. भूमि के मूल्य को शामिल करते हुए विनियोग की कुल लागत 2.75 करोड़ का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:–

S.No.	Details	Cost (in Lakh)
1.	Site clearing, excavation, leveling construction work and other civil work	50.00
2.	Plant and Machineries and other equipment including taxes and duties	150.00
3.	EMP including water pollution control, air pollution control, firefighting system, OHC, laboratory etc.	50.00
4.	Other misc. cost	25.00
	Total	275

उद्योग के प्रस्तावित कुल विनियोग 275 लाख अनुसार ही पूर्व में सी.ई.आर. का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 17/08/2022 के माध्यम से 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार किये जाने हेतु संभागीय वनमण्डल अधिकारी को लेख किया गया। किन्तु वन्य प्राणी संरक्षण योजना हेतु प्रमाणित कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के हेतु ग्राम पंचायत से यथायोग्य स्थान (खसरा नंबर एवं रकबा सहित) विवरण प्राप्त कर ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये जवाब (उपरोक्तानुसार बिन्दु क्रमांक ii एवं iii) का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. श्रमिकों के सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने एवं प्रत्येक 6 माह में श्रमिकों का पैथोजैनिक टेस्ट करवाये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रस्तावित परियोजना एवं आस–पास के क्षेत्र का ऐरो–बॉयोलॉजिकल स्टडी (Aero-Biological study) कराने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

7. रिसायकेबल प्लास्टिक एवं ग्लास वेस्ट को समीपस्थ अधिकृत रिसाईकलर को उपलब्ध कराये जाने तथा यूज्ड बैटरीज को स्टार ई–प्रोसेसर ग्राम–बकतरा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर को उपलब्ध कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) से प्रमाणित कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाए।

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के हेतु ग्राम पंचायत से यथायोग्य स्थान (खसरा नंबर एवं रकबा सहित) विवरण प्राप्त कर ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/09/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/12/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) से प्रमाणित कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किये जाने बाबत् डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस, रायगढ़ में दिनांक 05/09/2022 को आवेदन किया गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है। उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।
2. सी.ई.आर. के अंतर्गत मुक्तिधाम में "पवित्र वन निर्माण" हेतु ग्राम पंचायत समारूमा से यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 83, रकबा 5.38 हेक्टेयर) का विवरण प्राप्त कर ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) से प्रमाणित कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 24/02/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 452वीं बैठक दिनांक 28/02/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के संबंध में प्रस्ताव वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ को दिनांक 05/09/2022 को प्रेषित किया गया है। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वन्य प्राणी संरक्षण योजना अनुमोदित की गई है। तदोपरांत वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण), सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध–603/41 नवा रायपुर, दिनांक 30/01/2023 द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण

योजना के संबंध में आदेश जारी पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार अनुमोदित योजना में हाथी ट्रैकिंग हेतु मजदूरी भुगतान, सूचना तंत्र हेतु पुरस्कार राशि एवं जन जागरूकता अभियान हेतु राशि का विवरण निम्नानुसार है:–

S.No.	Activities	Budget Provision (In Rs. Lakhs)			
		Years from cleaning the area			
		1st	2nd	3rd	Total
1.	Wages/Honorarium of Hathi Tracking Team (2 Person@9000.00 per month)	2.16	2.16	2.16	6.48
2.	Rewards for informaers	0.05	0.05	0.05	0.15
3.	Elephant Awarness Creation Measures	0.10	0.10	0.10	0.30
Total					6.93

3. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/तक. अधि./1136/2023/रायगढ़, दिनांक 22/02/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"आवेदित क्षेत्र की एरियल डिस्टेंस नजदीकी वनक्षेत्र से लगभग 1.00 कि.मी. है। उक्त भूमि वन अधिपत्य की भूमि नहीं है। अतः शासकीय भूमि खसरा नं. 116/7 (खसरा नं. 116/1 का भाग) रकबा 0.405 हे. भूमि में संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा (CBWTF) ईकाई की स्थापना के इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। यदि उक्त भूमि छोटे–बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि हो तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान अनुसार कार्य किया जाना आपेक्षित है।"

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित परियोजना के अनुबंध की अवधि में विस्तार होता है तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित वन्य प्राणी संरक्षण योजना के अनुसार ही आगामी कार्य किया जाएगा। इस हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

If VMTSPL's contract of CBMWTF Continues after its validity with the Chairman Divisional Monitoring Committee, Bilaspur Division (Biomedical Waste) then VMTSPL will renew/revalidate the Conservation Plan as per the rules and regulations along with the prescribed fee set forth by the Wildlife Conservator, Raipur CG at that time.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स व्ही.एम. टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड (कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी) को ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 116/1 में कुल एरिया– 0.4062 हेक्टेयर (1 एकड़), नवीन कॉमन बॉयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना इंडक्शन प्लास्मा पायरोलाईसिस – 100 किलोग्राम प्रतिघण्टा, ऑटोक्लेव क्षमता – 100 लीटर प्रतिबैच एवं श्रेडर क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिघण्टा हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/04/2023 को संपन्न 144वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. वार्षिक प्रदूषण भार की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान का व्यवहार विस्तृत प्रस्ताव (ब्रेक–अप) प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना के संचालन से होने वाले दुर्गंध की समस्या के रोकथाम हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. बॉयो मेडिकल वेस्ट के हथालन एण्ड कलेक्शन प्वाईंट में निर्धारित व्यक्तियों के ट्रेनिंग की व्यवस्था एवं उनकी सुरक्षा हेतु पी.पी.ई. किट के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. Persistent Organic Pollutants (Dioxins and Furans) के प्रभावी नियंत्रण के संबंध में प्रस्तावित व्यवस्था की पूर्ण जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित सुसंगत जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स शेर ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्रीमती प्रीति शर्मा), ग्राम–शेर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2068)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 276626/2022, दिनांक 04/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–शेर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 2209, 2211, 2212, 2243/1, 2246, 2247, 2248, 2249, 2267, 2268, 2269, 2270/1, 2270/2, 2271, 2272, 2273 एवं 2276, कुल क्षेत्रफल– 2.41 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 3,200 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 32,00,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 427वीं बैठक दिनांक 30/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 30/09/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 446वीं बैठक दिनांक 12/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय कुमार शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में मिट्टी उत्खनन खदान खसरा क्रमांक 2209, 2211, 2212, 2243/1, 2246, 2247, 2248, 2249, 2267, 2268, 2269, 2270/1, 2270/2, 2271, 2272, 2273 एवं 2276, कुल क्षेत्रफल–2.41 हेक्टेयर, क्षमता–4,800 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 15/01/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/01/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर में दिनांक 05/12/2022 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर में दिनांक 06/12/2022 को पत्र लेख किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त होने के उपरांत एस.ई.ए.सी./एस.ई.आई.ए.ए. में प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1175/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 21/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (नग)
2017	13,63,500
2018	12,00,000
2019	9,70,000
2020	16,85,500
01/01/2021 से 30/09/2021 तक	9,60,000
01/10/2021 से 31/03/2022 तक	20,00,000

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत शेर का दिनांक 16/02/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वारोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्र. 1797/खनि 02/मा. प्ल.अनुमोदन/न.क्र. 02/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 12/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1615/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 11/11/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2.48 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1615/क/खनि/न.क्र. /2021 महासमुंद, दिनांक 11/11/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, वाटर सप्लाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्रीमती प्रीति शर्मा के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 25/02/2011 से 24/02/2021 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 25/02/2021 से 24/10/2041 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 2209, 2267 श्रीमती प्रीति शर्मा, खसरा क्रमांक 2272, 2248, 2243/1, 2268, 2211, 2212, 2246, 2270/1, 2276, 2247, 2271, 2270/2, 2273, 2269 श्री संजय शर्मा, खसरा क्रमांक 2249 श्री महावीर के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/699, महासमुंद दिनांक 22/02/2011 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी 5 कि.मी. है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मोरघा 910 मीटर, स्कूल ग्राम–शेर 1.7 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5.1 कि.मी. दूर है। बगनाई नदी 1.8 कि.मी., केशवा नाला 70 मीटर, नहर 1.2 कि.मी. एवं तालाब 1.1 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 34,762 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 32,130 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 31,808 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 777 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.3 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 35 मीटर है। जिग–जैग पद्धति में चिमनी को प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 10 टन कोयला की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
प्रथम	3,200	32,00,000	षष्टम	3,200	32,00,000
द्वितीय	3,200	32,00,000	सप्तम	3,200	32,00,000
तृतीय	3,200	32,00,000	अष्टम	3,200	32,00,000
चतुर्थ	3,200	32,00,000	नवम	3,200	32,00,000
पंचम	3,200	32,00,000	दशम	3,000	30,00,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.845 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की 8 घनमीटर प्रतिदिन हेतु अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि अतिरिक्त जल की मात्रा 1.845 घनमीटर प्रतिदिन हेतु भी सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कुल 382 नग वृक्षारोपण किया जाना है, जिसमें से 282 नग वृक्षारोपण किया जा चुका है। शेष 100 नग पौधों के लिए राशि 1,000 रूपये एवं कुल 582 नग पौधों के फेंसिंग के लिए राशि 1,00,000 रूपये, खाद के लिए राशि 29,100 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,00,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,30,100 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 9,16,400 रूपये आगामी चार

वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही पहुंच मार्ग एवं स्वयं की भूमि पर 202 नग पौधें रोपित है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में संकीर्ण क्षेत्र होने के कारण 72 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50.06	2%	1.0012	Following activities at Nearby Govt. Middle & Higher Secondary School, **Village-Sher**	
			Drinking water arrangement with water tank, filter & its AMC	
			Water tank	0.845
			Supply Pipeline & Installation	
			UV water filter	
			AMC	
			Running Water Arrangement in Toilet	
			Water tank	0.225
			Pipeline & Installation	
			Donation of Environment Conservation books with Almirah	
			Books	0.20
			Almirah	
			Total	**1.27**

17. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल में कराये जाने वाले कार्यों को पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुँच मार्ग एवं हाल रोड के संधारण में किया जाएगा। साथ ही ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले से जनित ऐश का उपयोग पुनः ईंट निर्माण में किया जाएगा।

19. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं पलाई ऐश के उचित रख–रखाव के लिए टिन शेड का उपयोग किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमाकंन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. आवेदित खदान में विद्यमान चिमनी किल्न को 2 वर्ष के भीतर जिग–जैग पद्धति में प्रतिस्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. जल की मात्रा 1.845 घनमीटर प्रतिदिन हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के 446वीं बैठक दिनांक 12/01/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 27/02/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 452वीं बैठक दिनांक 28/02/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. जल की मात्रा 1.845 घनमीटर प्रतिदिन हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
2. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 2497, दिनांक 28/02/2023 के माध्यम से एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु

परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त के संबंध में प्रतिवेदन अप्राप्त है।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/12/2022 के माध्यम से एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर एवं दिनांक 06/12/2022 के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को प्रेषित अनुरोध पत्र की प्रति प्रेषित की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रमाणित पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ /एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1615/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 11/11/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2.48 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–शेर) का क्षेत्रफल 2.41 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–शेर) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 4.89 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स शेर ब्रिक्स अर्थवले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्रीमती प्रीति शर्मा) को ग्राम–शेर, तहसील व जिला–महासमुंद के खसरा क्रमांक 2209, 2211, 2212, 2243/1, 2246, 2247, 2248, 2249, 2267, 2268, 2269, 2270/1, 2270/2, 2271, 2272, 2273 एवं 2276 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.41 हेक्टेयर, क्षमता–3,200 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 32,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/04/2023 को संपन्न 144वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स शेर ब्रिक्स अर्थवले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्रीमती प्रीति शर्मा) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत एवं पालन पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स मां शारदा मिनरल्स (प्रो.– श्री आशीष तिवारी), ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2309)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 417891/ 2023, दिनांक 15/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 699, कुल क्षेत्रफल–4.048 हेक्टेयर में है। क्षमता विस्तार के तहत् खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,96,670 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 3,56,004 टन प्रतिवर्ष (20% Expansion) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 28/02/2023 को दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 452वीं बैठक दिनांक 28/02/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष तिवारी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11/04/2022 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

"Guidelines for granting Environmental Clearance (EC) under para 7 (II) (a) of EIA Notification, 2006, for expansion up to 50%, within the existing premises/mine lease area, without additional land acquisition"

Project proponent shall apply in the requisite form on the PARIVESH Portal under para 7 (II) of EIA notification, 2006, along with EIA/EMP reports based on standard TORs and public consultation report, if applicable. The concerned EAC/SEAC shall appraise the project proposal and it may prescribe additional sector specific and/or other environmental sefeguards after due diligence, as required."

2. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11/04/2022 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

"In order to avoid undue delay in obtaining requisite clearance and ensure that due environmental safeguards are in place, it is hereby clarified that the revised EIA/EMP report based on standard ToRs, may be prepared for a maximum of 50% expansion of the original EC capacity for which public hearing has been held, in order to avail the benefit of the above-said OM dated 11th April 2022. However, the EC shall be granted in phases of 20%, 40% and 50% capacity expansion, based on the above mentioned revised EIA/EMP report, subject to submission of Certified Compliance Reports for ECs granted at each stage."

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – मॉडिफिकेशन इन क्वारी प्लान, एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्र. 2463/खनि02/मा.प्ल. अनुमोदन/न.क्र.04/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 18/05/2022 द्वारा अनुमोदित है।

5. **लीज का विवरण** – लीज मेसर्स मां शारदा मिनरल्स, प्रो.–श्री आशीष तिवारी के नाम पर है। लीज डीड 6 वर्ष व 6 माह अर्थात् दिनांक 12/10/2020 से 11/04/2027 तक की अवधि हेतु वैध है।

6. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की उत्खनन क्षमता में 50 प्रतिशत (50%) की वृद्धि हेतु ई.आई.ए. एवं ई.एम.पी. तैयार कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

				(in Lakh Rupees)
210	2%	4.20	Following activities at Government Primary & High School, **Village- Mandir Hasaud**	
			Rain Water Harvesting System	2.21
			Installation of Water tank and water supply facility in toilet of boys & girls in school	0.70
			Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC	0.60
			Plantation in school boundary & in haul road with tree gurd	1.40
			Total	**4.91**

सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही स्कूल परिसर के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

9. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की उत्खनन क्षमता में 50 प्रतिशत (50%) की वृद्धि हेतु ई.आई.ए. एवं ई.एम.पी. तैयार कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए। साथ ही स्कूल परिसर के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 11/04/2022 तथा दिनांक 30/05/2022 के अनुसार Para 7 (II) (a) के तहत् मेसर्स मां शारदा मिनरल्स (प्रो.– श्री आशीष तिवारी) को ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर के खसरा क्रमांक 699 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.048 हेक्टेयर में उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त पर उत्खनन क्षमता–2,96,670 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 3,56,004 टन प्रतिवर्ष (20% Expansion) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की सशर्त अनुशंसा की गई। **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तें यथावत् रहेंगी।**

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/04/2023 को संपन्न 144वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 11/04/2022 तथा दिनांक 30/05/2022 के अनुसार Para 7 (II) (a) के तहत् आवेदक – मेसर्स मां शारदा मिनरल्स (प्रो.– श्री आशीष तिवारी) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत एवं पालन पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की उत्खनन क्षमता में 50 प्रतिशत (50%) की वृद्धि हेतु ई.आई.ए. एवं ई.एम.पी. तैयार कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत एवं नियमानुसार जानकारी/दस्तावेज पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए। साथ ही स्कूल परिसर के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत एवं नियमानुसार जानकारी/दस्तावेज पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स दौंदेकला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री पवन कुमार अग्रवाल), ग्राम–दौंदेकला, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2216)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 407961/ 2022, दिनांक 01/12/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 20/12/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 16/01/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–दौंदेकला, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 126/1, 126/2, 126/5, 127/1, 127/3, 127/4, 128/1, 128/2 एवं 128/4, कुल क्षेत्रफल–2.687 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–60,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 453वीं बैठक दिनांक 01/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कुलदीप वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित हो रहा है। साथ ही ऑनलाईन आवेदन करने के दौरान टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया जाना था परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः टी.ओ.आर. हेतु आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/04/2023 को संपन्न 144वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारुप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.–श्रीमती हरप्रीत कौर), ग्राम–अकोलडीह खपरी, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2215)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 405202/ 2022, दिनांक 30/11/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 12/12/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 17/01/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अकोलडीह खपरी, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 279, 536 एवं 537(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–8.3 एकड़ (3.358 हेक्टेयर) में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 453वीं बैठक दिनांक 01/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनदीप सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत घनसुली का दिनांक 28/12/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्र. 5392/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.04/2019(1) नवा रायपुर, दिनांक 13/10/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 87/ख.लि./2023 रायपुर, दिनांक

13/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदानें, क्षेत्रफल 180.28 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 87/ख.लि./2023 रायपुर, दिनांक 13/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि एवं एल.ओ.आई. श्रीमती हरप्रीत कौर के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 542/ख.लि./तीन–6/उ.प./2022 रायपुर, दिनांक 26/05/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अकोलडीह खपरी 450 मीटर, स्कूल ग्राम–अकोलडीह खपरी 450 मीटर दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 20,16,000 टन, माईनेबल रिजर्व 9,28,958 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 9,01,089 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,610 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जायेगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 25,990 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 31 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	30,000
द्वितीय	30,000
तृतीय	30,000
चतुर्थ	30,000
पंचम	30,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,902 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर 2022 से 14 जनवरी 2023 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 16/12/2022 को सूचना दी गई थी।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 87/ख.नि./2023 रायपुर, दिनांक 13/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदानें, क्षेत्रफल 180.26 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–अकोलडीह खपरी) का रकबा 3.36 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–अकोलडीह खपरी) को मिलाकर कुल रकबा 183.62 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

    i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

    ii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

    iii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vi. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

viii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

ix. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xii. Project proponent shall complete plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/04/2023 को संपन्न 144वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

13. **मेसर्स लमकेनी ब्रिक्स अर्थ क्वारी एण्ड ब्रिक किल्न प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री दीनबंधु साहू), ग्राम–लमकेनी, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1799)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 227885/2021, दिनांक 05/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–लमकेनी, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 114, कुल क्षेत्रफल–1.336 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,250 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 12,50,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 397वीं बैठक दिनांक 27/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री खेलूराम साहू, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति में जावक क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख नहीं होने के कारण उनके द्वारा खनिज विभाग में सूचना के अधिकार के अंतर्गत जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति प्राप्त किये जाने का लेख किया गया था, जिसके परिपेक्ष्य में खनिज विभाग द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कार्यवाही विवरण की प्रति प्रस्तुत की गई। समिति का मत है कि खनिज विभाग से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /क_ /ख.लि./तीन–6/2021/573 रायपुर, दिनांक 18/08/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	ईंट उत्पादन (नग)
2016	5,67,000
2017	6,30,500
2018	4,75,000
2019	6,08,000
2020	90,500

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत लमकेनी का दिनांक 08/09/2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3544/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क.04/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 12/07/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 572/ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 18/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 572/ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 18/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री दीनबंधु साहू के नाम पर है। लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 24/12/2005 से 23/12/2010 तक की अवधि हेतु वैध थी। लीज का नवीनीकरण दिनांक 24/12/2010 से 23/12/2020 तक की अवधि हेतु की गई थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 15 वर्षों की, दिनांक 24/12/2020 से 23/12/2035 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 114 श्री खेलु राम एवं आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–लमकेनी 0.35 कि.मी., स्कूल ग्राम–लमकेनी 0.35 कि.मी. एवं अस्पताल अमनपुर 13 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.9 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.3 कि.मी. दूर है। खारून नदी 0.6 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 25,120 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 19,282 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 19,289 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 615 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर होगा, जिसका क्षेत्रफल 1,700 वर्गमीटर होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 16.7 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 18 टन कोयले की आवश्यकता

होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की गई है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	ईंट उत्पादन (नग)
प्रथम	1,250	12,50,000
द्वितीय	1,250	12,50,000
तृतीय	1,250	12,50,000
चतुर्थ	1,250	12,50,000
पंचम	1,250	12,50,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	ईंट उत्पादन (नग)
षष्टम	1,250	12,50,000
सप्तम	1,250	12,50,000
अष्टम	1,250	12,50,000
नवम	1,250	12,50,000
दशम	1,250	12,50,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 100 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
41.24	2%	0.82	Following activities at Government Primary School, Village- Lamkeni	
			Rain Water Harvesting System	0.43
			Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC	0.40
			Plantation	0.10
			Total	**0.93**

समिति का मत है कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के स्थान पर सबमर्सिबल पंप लगाकर पाईप के माध्यम से रनिंग वॉटर एवं पेय जल हेतु अलग–अलग टंकी स्थापित किया जाए।

15. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. सीईआर के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि अनुमोदित क्वारी प्लान में माईनेबल रिजर्व 19,252 घनमीटर की मात्रा रिकव्हरेबल रिजर्व 19,289 घनमीटर की मात्रा से कम होना बताया गया है, जो कि संभव नहीं है। अतः उक्त के संबंध में संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. खनिज विभाग से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

2. उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की (बैठक दिनांक, सचिव एवं सरपंच के हस्ताक्षर सहित) अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।

3. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले से जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

4. उपरोक्तानुसार अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाए।

5. जिग–जैग किल्न के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

7. सी.ई.आर. के तहत् रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के स्थान पर सबमर्सिबल पंप लगाकर पाईप के माध्यम से रनिंग वॉटर एवं पेय जल हेतु अलग–अलग टंकी स्थापित किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 05/05/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि:–

1. साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी के संबंध में फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है।

2. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत लमकेनी का दिनांक 28/03/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लगभग 17 टन प्रतिवर्ष ऐश जनित होगा, जिसका उपयोग ईंट निर्माण में किया जाएगा। साथ ही रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुँच मार्ग के संधारण में किया जाएगा।

4. अनुमोदित क्वारी प्लान में माईनेबल रिजर्व 19,252 घनमीटर की मात्रा रिकव्हरेबल रिजर्व 19,289 घनमीटर की मात्रा से कम होना बताया गया था, जो कि संभव नहीं है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी अनुसार टंकन त्रुटिवश रिकव्हरेबल रिजर्व की मात्रा 19,289 टन थी, जिसे संयुक्त–संचालक (खनि.प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर द्वारा (अनुमोदित क्वारी प्लान के पेज क्र.–11) त्रुटि सुधार कर रिकव्हरेबल रिजर्व की मात्रा 18,289 टन करते हुए संशोधित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

5. जिग–जैग किल्न के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि आवेदित क्षेत्र में जिग–जैग किल्न के स्थान पर पूर्व से फिक्स चिमनी (Type BTK) स्थापित है।

6. जल की आपूर्ति बोरवेल के स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. सी.ई.आर. के तहत् रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के स्थान पर सबमर्सिबल पंप लगाकर पाईप के माध्यम से रनिंग वॉटर एवं पेयजल हेतु अलग–अलग टंकी स्थापित किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

8. सी.ई.आर. के तहत् (जामुन, नीम एवं आम) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पौधों के लिए राशि 2,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 11,500 रूपये, खाद के लिए राशि 400 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 3,600 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 18,000 रूपये के लिए 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

9. खनिज विभाग से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.नि./तीन–6/2022/10 रायपुर, दिनांक 04/04/2022 के अनुसार "कार्यालयीन पत्र क्रमांक 374 दिनांक 24.06.2017 के तहत् श्री दीनबंधु साहू को स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र रकबा 1.336 हेक्टेयर के लिए पर्यावरण सम्मति आदेश जारी किया गया है। मूल नस्ती में पर्यावरण सम्मति आदेश संलग्न नहीं होने एवं पट्टेदार के पास उपलब्ध नहीं होने के कारण उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।" होना बताया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि परियोजना प्रस्तावक को

पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं हुई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन किया गया है। समिति का मत है कि बिना पर्यावरणीय स्वीकृति प्रति के उत्खनन किया जाना ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः उल्लंघन की श्रेणी में आने के कारण उल्लंघन का उल्लेख करते हुये पुनः आनलाईन आवेदन किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन फार्म में उल्लंघन का उल्लेख नहीं करने के कारण आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई। समिति का यह भी निर्णय है कि परियोजना प्रस्तावक को ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् उल्लंघन का उल्लेख करते हुये विहित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 12/08/2022 को संपन्न 126वीं बैठक में प्रकरण से संबंधित समस्त प्राप्त अभिलेखों एवं उपलब्ध नस्ती का अवलोकन कर विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्थल का पूर्ण निरीक्षण कर वस्तुस्थिति से प्राधिकरण को अवगत कराने हेतु श्री एन.के. चंद्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में खनि अधिकारी, जिला–रायपुर एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को सम्मिलित करते हुये तीन सदस्यीय उपसमिति का गठन किया जाता है। तीन सदस्यीय उपसमिति स्थल का निरीक्षण करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये कलरयुक्त फोटोग्राफ्स दिनांक सहित बिन्दुवार निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। अतः उपसमिति से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/09/2022 द्वारा श्री एन.के. चंद्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं खनि अधिकारी, जिला–रायपुर तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु सूचित किया गया। तदानुसार उपसमिति द्वारा दिनांक 11/10/2022 को स्थल निरीक्षण कर दिनांक 09/11/2022 को अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये कलरयुक्त फोटोग्राफ्स दिनांक सहित बिन्दुवार निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 21/11/2022 को संपन्न 133वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज/निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

- "With reference to the letter No. 908/SEAC CG/ Raipur/1799, Nava Raipur Atal Nagar Date 05/09/2022, a sub-committee of three members Shri N.K. Chandrakar, Expert Member of SEAC CG, Mining Officer of Raipur and Regional Officer Raipur CECB was constituted to inspect Bricks earth quarry and brick kiln project which is granted lease till 22/12/2035 to Mr. Deenbandhu Sahu, Village - Lamkeni ,Tehsil - Abhanpur, District - Raipur for renewal of Environmental Clearance. Previous environment clearance was granted for five years to the project proponent through letter no. 374/DEIAA CG/EC/Khanij/2016.

- The site was visited on 11/10/2022 where Mining Inspector Raipur, project proponent Mr. Deebandhu Sahu Project proponent and Mr. S.K. Chaudhary, Sub Engineer CECB, Mr. M.K. Shrivastava, Chemist CECB and some villagers were present. (Panchnama enclosed).

Following observations were made during the inspection:

- Annual mining limit of brick earth is within prescribed limit of 1500 cubic metre per year and boundary of lease area is marked with permanent pillars. (Photographs enclosed).
- Waste water from the brick work production process is not discharged into natural water stream also necessary provisions have been made so that storm water in lease area does not come in contact with polluted waste water.
- No waste material is dumped in the peripheral 7.5 meter wide safety zone and sufficient plantation has been done in this area.
- Tree guard has been used to protect the trees and enough plantations of trees like neem, ashok, mango, karanj etc. as per the guidelines of Environmental Clearance was also found in the lease area.
- Labours of the brick work project are provided facility of clean drinking water, toilets, shoes, helmet and first aid kits.
- The inspection of lease area does not indicate any type of violation with respect to Environmental Clearance guidelines and project proponent is willing to comply all the terms and conditions of SEAC Chhattisgarh. (Affidavit enclosed).
- Recent NOC from village panchayat has also been submitted and this project is not a part of any cluster. (Copy enclosed).
- The project proponent submitted affidavit before the SEIAA to comply all the terms and conditions. (Copy enclosed).
- Apart from above there is no Brick klin chimney within 1 KM radius and population 600-800 meter from lease area.

Therefore it is recommended to renew the Environmental Clearance."

साथ ही प्राधिकरण द्वारा यह भी नोट किया गया कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत खनिज विभाग द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही विवरण की प्रति प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत कार्यवाही विवरण अनुसार पूर्व जिला स्तरीय विशेषज्ञ निर्धारण समिति की बैठक दिनांक **21/03/2017** में कुल **24 प्रकरणों** पर पर्यावरण सम्मति दिये जाने हेतु निर्णय लिया गया।

2. उपरोक्त कार्यवाही विवरण के अंतर्गत उल्लेखित तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है अथवा नहीं? अतः प्राधिकरण का मत है कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी होने अथवा नहीं होने के संबंध में स्पष्ट जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है, ताकि प्रकरण पर विचार किया जा सके। प्राप्त समस्त अभिलेखों की प्रति कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर को पत्र के साथ संलग्न किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर से उपरोक्त कार्यवाही विवरण के संबंध में स्पष्टीकरण एवं आवेदित प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी होने अथवा नहीं होने के संबंध में स्पष्ट जानकारी प्रेषित किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/12/2022 के परिपेक्ष्य में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 10/01/2023 को प्रेषित किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/02/2023 को संपन्न 138वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2958/खनिज/मिट्टी/न.क.–Ab 9/2022 रायपुर, दिनांक 03/01/2023 द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"पूर्व में कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–6/2022/10 रायपुर दिनांक 04.04.2022 के अनुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक 374 दिनांक 24.06.2017 के तहत श्री दीनबंधु साहू को स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र रकबा 1.336 हे. पर पर्यावरण स्वीकृति जारी किया गया है। मूल नस्ती में पर्यावरण सम्मति आदेश संलग्न नहीं होने के कारण उपलब्ध कराया संभव नहीं है।" होना लेख किया गया है।

उपरोक्त के संबंध में लेख है कि जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति (डी.ई.ए.सी.) रायपुर की बैठक दिनांक 15.03.2017 में कुल 31 प्रकरणों की सुनवाई कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदाय करने हेतु निर्णय दिया गया। बैठक के कार्यवाही विवरणानुसार बिन्दु क्रमांक 20 अनुसार आवेदक श्री दीनबंधु साहू को ग्राम लमकेनी तहसील अभनपुर के निजी भूमि खसरा नं. 114 भाग रकबा 1.336 हे. पर स्वीकृत मिट्टी उत्खनिपट्टा को पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 23.12.2020 तक प्रदाय करने विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया जिसके पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु समस्त प्रकरण जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) रायपुर में प्रस्तावित किया गया।

जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) के बैठक दिनांक 21.03.2017 में दिनांक 14.02.2017 के 04 एवं दिनांक 15.03.2017 के 31 कुल 35 प्रकरणों पर सुनवाई की गई जिसमें 24 प्रकरणों को पर्यावरण सम्मति प्रदाय करने का निर्णय लिया गया जिसमें श्री दीनबंधु साहू का प्रकरण सम्मिलित है। उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक श्री दीनबंधु साहू को पूर्व में जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदाय किया गया है।" संबंधित बैठकों की छाया प्रतियां प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2958/खनिज/मिट्टी/न.क.– Ab 9/2022 रायपुर, दिनांक 03/01/2023 से प्राप्त जानकारी एवं उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(स) समिति की 453वीं बैठक दिनांक 01/03/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2958/खनिज/मिट्टी/न.क्र.–Ab 9/2022 रायपुर, दिनांक 03/01/2023 द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

   "पूर्व में कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–6/2022/10 रायपुर दिनांक 04.04.2022 के अनुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक 374 दिनांक 24.06.2017 के तहत् श्री दीनबंधु साहू को स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र रकबा 1.336 हे. पर पर्यावरण स्वीकृति जारी किया गया है। मूल नस्ती में पर्यावरण सम्मति आदेश संलग्न नहीं होने के कारण उपलब्ध कराया संभव नहीं है।" होना लेख किया गया है।

2. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 572/ख.लि./तीन–6/2021 रायपुर, दिनांक 18/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–लमकेनी) का क्षेत्रफल 1.336 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 100 नग वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. मेसर्स लमकेनी ब्रिक्स अर्थ क्वारी एण्ड ब्रिक किल्न प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री दीनबंधु साहू) को ग्राम–लमकेनी, तहसील–अमनपुर, जिला–रायपुर के खसरा क्रमांक 114 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.336 हेक्टेयर, क्षमता–1,250 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 12,50,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/04/2023 को संपन्न 144वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स लमकेनी ब्रिक्स अर्थ क्वारी एण्ड ब्रिक किल्न प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री दीनबंधु साहू) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत एवं पालन पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 100 नग वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के उपरांत एवं नियमानुसार जानकारी/दस्तावेज पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–3 **नाम परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स महावीर स्टोन क्रशर (प्रो.– श्री राजेश जैन), ग्राम–बरमपुर, तहसील–खड़गवां, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1320)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 157196/2020, दिनांक 11/06/2020। मेसर्स महावीर स्टोन क्रशर (प्रो.– श्री विजय कुमार जैन), निवासी – वार्ड नम्बर 30, बड़ा बाजार, पोस्ट–चिरमिरी, तहसील–खड़गवां, जिला–कोरिया को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स महावीर स्टोन क्रशर (प्रो.– श्री राजेश जैन), निवासी – बड़ा बाजार, तहसील–चिरमिरी,

जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. यह खदान ग्राम–बरमपुर, तहसील–खड़गवां, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 340, कुल लीज क्षेत्र 2.8 हेक्टेयर, साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–31,175 टन प्रतिवर्ष की है।
2. पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1316, दिनांक 29/10/2020 द्वारा ग्राम–बरमपुर, तहसील–खड़गवां, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 340, कुल लीज क्षेत्र 2.8 हेक्टेयर, साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–31,175 टन प्रतिवर्ष हेतु मेसर्स महावीर स्टोन क्रशर (प्रो.– श्री विजय कुमार जैन) के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 46, दिनांक 03/01/2023 द्वारा " मेसर्स महावीर स्टोन क्रशर प्रो. विजय कुमार जैन आ. स्व. मूलचन्द जैन निवासी बड़ा बाजार चिरमिरी, थाना–तहसील–चिरमिरी को ग्राम बरमपुर तह. खड़गवा में खनिज साधारण पत्थर (क्रशर) उत्खनि पट्टा हेतु निजी भूमि ख.नं. 340 रकबा 2.80 हे. क्षेत्र पर अवधि 04.09.2010 से 03.09.2040 तक 30 वर्षो के लिए स्वीकृत, उत्खनिपट्टा को श्री राजेश कुमार जैन आ. श्री विजय कुमार जैन निवासी बड़ा बाजार चिरमिरी को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 56 (1) के तहत् खनिज–साधारण पत्थर (क्रशर) उत्खनि पट्टा हेतु शेष अवधि के लिये अंतरण किया जाता है।" हेतु आदेश जारी किया गया है।
4. मेसर्स महावीर स्टोन क्रशर (प्रो.– श्री विजय कुमार जैन) द्वारा उनको पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स महावीर स्टोन क्रशर (प्रो.– श्री राजेश जैन) के नाम पर हस्तांतरण किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/04/2023 को संपन्न 144वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि:–**

1. विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष में) खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
2. मेसर्स महावीर स्टोन क्रशर (प्रो.– श्री विजय कुमार जैन) द्वारा उनको पूर्व में जारी माईनिंग प्लान को मेसर्स महावीर स्टोन क्रशर (प्रो.– श्री राजेश जैन) के नाम पर हस्तांतरण किये जाने के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स नंदन स्टील्स एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–सोण्ड्रा, तहसील–धरसींवा जिला–रायपुर

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी / 298885/2023, दिनांक 24/03/2023। मेसर्स लक्ष्मीकृपा स्टील्स एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स नंदन स्टील्स एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. उद्योग ग्राम–सोण्ड्रा, तहसील–धरसींवा जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 33, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 38, 39/1, 39/2, 52/1, 52/3, 52/4, 53 एवं 54 के कुल क्षेत्रफल 8.44 एकड़ (3.42 हेक्टेयर), माईल्ड स्टील बिलेट क्षमता–2,00,000 टन प्रतिवर्ष एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (थ्रू ऑनलाईन हॉट चार्जिंग)–1,90,000 टन प्रतिवर्ष की है।
2. पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2019 द्वारा उक्त क्षमता हेतु मेसर्स लक्ष्मीकृपा स्टील्स एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. मेसर्स लक्ष्मीकृपा स्टील्स एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स नंदन स्टील्स एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किये जाने बाबत् मेसर्स लक्ष्मीकृपा स्टील्स एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. मेसर्स नंदन स्टील्स एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूर्व में मेसर्स लक्ष्मीकृपा स्टील्स एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarize undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. मेसर्स लक्ष्मीकृपा स्टील्स एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड एवं मेसर्स नंदन स्टील्स एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किये गये बिजनेस ट्रान्सफर एग्रीमेंट की प्रति प्रस्तुत की गई है।
6. मेसर्स लक्ष्मीकृपा स्टील्स एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड एवं मेसर्स नंदन स्टील्स एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड के मध्य किये गये विक्रय विलेख की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. मेसर्स लक्ष्मीकृपा स्टील्स एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड एवं मेसर्स नंदन स्टील्स एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी बोर्ड ऑफ रिसॉल्युशन की प्रति प्रेषित की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/04/2023 को संपन्न 144वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही के परिपेक्ष्य में परीक्षण कर उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।**

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–4 मेसर्स सरगी सेण्ड माईन (प्रो.– श्री जितेन्द्र कुमार मण्डल), ग्राम–सरगी, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी को रेत उत्खनन हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता के संबंध में मार्गदर्शन लिये जाने बाबत्।

1. **मेसर्स सरगी सेण्ड माईन (प्रो.– श्री जितेन्द्र कुमार मण्डल), ग्राम–सरगी, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1090)**

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1990, दिनांक 23/03/2020 द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार मण्डल, सरगी सेण्ड माईन, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, ग्राम–सरगी, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी, कुल लीज क्षेत्रफल 4.98 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।

श्री जितेन्द्र कुमार मण्डल, सरगी सेण्ड माईन, ग्राम–सरगी, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1990, दिनांक 23/03/2020 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता के संबंध में दिनांक 02/03/2023 को पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

श्री जितेन्द्र कुमार मण्डल के पक्ष में ग्राम सरगी, तहसील मगरलोड, जिला धमतरी के खसरा क्रमांक 01 भाग, रकबा 4.98 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज साधारण रेत का उत्खनन पट्टा 18/05/2020 से 17/05/2022 तक स्वीकृत है जिसमें छ.ग. गौण खनिज रेत (व्यवसाय तथा उत्खनन) नियम 2019 के नियम 04 के तहत मूल स्वीकृति अवधि में एक वर्ष विस्तारित करते हुए उक्त क्षेत्र में दिनांक 18/05/2020 से 17/05/2023 तक उत्खनि पट्टा स्वीकृत है। स्वीकृत उत्खनि पट्टा में रेत उत्खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छ.ग. के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिनांक 23/03/2020 से 2 वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है एवं नोटिफिकेशन दिनांक 18/01/2021 द्वारा एक वर्ष का वैधता विस्तार दिया गया। अतः 22/03/2023 तक पर्यावरण सहमति वैध है।

भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 12/04/2022 की पैरा 9 (i) में लेख किए गए प्रावधान "परन्तु खनन परियोजनाओं या गतिविधियों के मामले में वैधता खनन पट्टे के निष्पादन के तिथि से दिए जायेंगे" के प्रावधान के परिपेक्ष्य में मार्गदर्शन चाहा गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति किस दिनांक से लागू होगी अतः क्या पर्यावरण सहमति 23/03/2020 से 3 वर्षों के लिए वैध है? या लीज अनुबंध दिनांक 18/05/2020 से 3 वर्षों के लिए वैध है?

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/04/2023 को संपन्न 144वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी दिशा–निर्देशों तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं एवं ऑफिस

मेमोरेण्डमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(आर.पी. तिवारी)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देवाशीष दास)
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. दीपक सिन्हा)
सदस्य
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

टीप:– एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. की दिनांक 17/04/2023 को सम्पन्न 144वीं बैठक में रखे गए समस्त प्रकरणों में से निम्नानुसार दो प्रकरण:– **(1) एजेण्डा आयटम क्रमांक–2 के सरल क्रमांक–8** "मेसर्स व्ही.एम. टेक्नोसीपट प्राइवेट लिमिटेड (कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी), ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़" में प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा लिए गए निर्णय से सदस्य सचिव, एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. असहमत है। सदस्य सचिव, एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. का मत है कि वर्तमान में प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार मंगाये जाने वाले जानकारी / दस्तावेज को जल एवं वायु स्थापना सम्मति के दौरान मंगाया जा सकता है। अतः उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छ.ग. की अनुशंसा के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति दिया जा सकता है।

(2) एजेण्डा आयटम क्रमांक–3 के सरल क्रमांक–2 "मेसर्स नंदन स्टील्स एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–सोण्ढूर, तहसील–धरसीवा जिला–रायपुर" प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा लिए गए निर्णय से सदस्य सचिव, एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. असहमत है। आवेदित प्रकरण नाम परिवर्तन का प्रकरण है। अतः ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 (यथा संशोधित) के अनुसार:–"11. Transferability of Environmental Clearance (EC): A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or, State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases." का उल्लेख है। उक्त अधिसूचना के संदर्भ में **सदस्य सचिव, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के मत है कि** नाम हस्तांतरण प्रकरण पर कार्यवाही एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. के स्तर से किया जाना है। अतः आवेदित प्रकरण को उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। **सदस्य सचिव द्वारा उक्त दोनों प्रकरण के अतिरिक्त शेष अन्य प्रकरणों हेतु सहमति व्यक्त की गई।**

(आर.पी. तिवारी)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़